न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 22/2022 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2022/51

अनवान

1. श्री काना पिता रुपा डांगी, निवासी डांगी खेडा, तहसील सराडा जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर।
2. उपतहसीलदार जयसमन्द, सराडा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार जयसमन्द, प्र.स. 27/2022 ना.क.
दिनांक 13.06.2022

* निर्णय *

दिनांक– 16-09-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार जयसमन्द, तहसील सराडा, जिला उदयपुर पेश कर यह कि कथित आदेश न्याय व विधि के विरुद्व है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्व आराजी नम्बर 110 रकबा 0.0050 हेक्टेयर बिलानाम भूमि के संबंध में प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का नोटिस जारी किया गया व पेशी तारिख 03.06.2022 नियत की गई। जिस पर अपीलान्ट 03.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ व अपीलान्ट ने मौखिक रुप से अतिक्रमण करने से मना किया। जिस पर सबुत पेश करने हेतु तारिख 13.06.2022 की पेशी दी गई। दिनांक 13.06.2022 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उसके हस्ताक्षर करवा लिए व मौखिक जाने का कह कर कहा कि बाद मे आदेश लिखा कर सूचना करा देंगे। लेकिन अपीलान्ट को उसके बाद आदेश की कोई सूचना नहीं दी गई। तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को यह भी नहीं बताया कि इस आदेश की अपील किस न्यायालय में कितने समय में होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित प्रकरण में बिना कोई जांच एवं साक्ष्य के कथित आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में आराजी नम्बर अंकित नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख 01.07.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक पलोदडा को लिखा गया है कि मौजिनक व रास्ता भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् लिखा एवं काना पिता रुपा के द्वारा प्रस्तुत आराजी न. 172 रकबा 0.0300 हे.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का अमरपुरा के द्वारा प्रस्तुत रास्ता अवरुद्व करने एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई, बैदखली के आदेश के स्वरुप मौके से भोतिक रुप से मौजा डांगी खेडा के अतिक्रमण को हटाकर तीन दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करने व इसकी प्रति थानाधिकारी जावरमाईन्स को जाब्ता उपलब्ध कराने व ग्राम विकास अधिकारी धावडीया को सार्वजनिक रास्ता खुलवाने संसाधन उपलब्ध कराने व मौके पर उपस्थित रहने हेतु प्रतिलिपि भेजी। जबकि कथित प्रकरण में न तो सार्वजनिक भूमि व रास्ते की भूमि के संबंध में कार्यवाही की गई न ही आराजी नत्र 172 के अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही की है। कथित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पिठासीन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक भूमि एवं रास्ते की आड में बिना किसी कार्यवाही के अपीलान्ट की आराजी न. 172 से कब्जा हटाने के लिए यह गलत तरिका निकाला है एवं दिनांक 04.07.2022 को जे.सी.बी. चलाकर रास्ता निकालने का षडयन्त्र रचा है।

जबकि आराजी न. 172 अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात के मध्य स्थित है। तथा ग्राम पंचायत अमरपुरा द्वारा तारीख 07.11.1999 को आराजी नम्बर 172 का पट्टा अपीलान्ट के नाम जारी किया गया। पट्टा शुदा भूमि के पडौस पूर्व–धुला का बाडा, पश्चिम आम रास्ता, उत्तर काना स्वंय के खातेदारी की आराजी, दक्षिण–काना स्वंय के खातेदारी की आराजी है। आराजी है। आराजी न. 172 का ग्राम पंचायत अमरपुरा द्वारा अपीलान्ट को पट्टा जारी करने के बाद अपीलान्ट ने सन् 2000 में इस पर कच्चा मकान बनाया व उसके बाद पक्का मकान भी बनाया व आगे खला चौक रखा है व इसके बाउण्ड्री बना रखी है। इस तरह आराजी नम्बर 172 पर अपीलान्ट बहैसियत मालिकाना हक से काबिज होकर उपयोग–उपभोगकरता चला आ रहा है। तथा इस पर निर्मित मकानों में निवास कर रहा है व मवेशियों के घास आदि व कृषि सामान रखता है व मवेशी बांधता चला आ रहा है। आराजी न. 172 पर अपीलाण्ट का जायज कब्जा है, जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय को नाजायज कब्जे की र्कावाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आराजी न. 110 की आड में आराजी नम्बर 172 से बैदखल करने का गलत षडयन्त्र रचा है व सह षडयन्त्र अपीलान्ट के विरोधी पक्ष वालचन्द, सुरेश, देवीलाल, जगदीश, पदमा,दल्ला, भेरु आदि से मिलकर रचा है। व इस गलत कार्यवाही की आड में अपीलान्ट को आराजी नम्बर 172 से बैदखल करने की कोशिश की है, जबकि अपीलान्ट के मकानात आज भी मौके पर मौजुद है। पटवारी हल्का द्वारा जा मौका पर्चा बनाया गया है उसमे बैदखली की कार्यवाही मौतबिरान अतिक्रमी व सरपंच धावडिया के समक्ष करना बताया गया, लेकिन अपीलान्ट को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है, न अपीलान्ट मौके पर उपस्थित था, न अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। मौके पर्चे पर जो हस्ताक्षर बताये गये है वे व्यक्ति अपीलान्ट के विरोधी पक्ष के है व उन्होने ही कार्यवाही मिलीभगत से करवाई है।

पटवारी हल्का द्वारा जो नाजायज कब्जे की रिपोर्ट की गई वह भी रेकर्ड पर नहीं है। व उसके बाद दुसरी रिपोर्ट बनवाकर पत्रावली पर लगाई गई है। जो तारीख 23.12.22 की है इस रिपोर्ट में भी मकान, पक्का निर्माण, पडत भूमि ब[illegible] है व कब्जा भी लगातार चला आना बताया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कि[illegible] जांच के अपीलाण्ट के विरोधी पक्ष को नाजायज लाभ पहुचाने की नियत से कथित कार्यवाही कर गलत आदेश पारीत किया है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को 20.07.2022 को जो नकल दी गई उसके प्रकरण दर्ज करने का फर्द अहकाम का अवलोकन करने पर आराजी न. 110 अंकित किया हुआ है। व दुसरी बार तारिख 27.07.2022 को जो नकल दी गई, उसके फर्द अहकाम में आराजी नम्बर 110 को काटकर 172 कर दिया गया है। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायीक प्रकरण में काटाफासी करना गम्भीर अपराध है। जो कि 172 में से जबरन रास्ता निकालना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2022 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में उप तहसीलदार जयसमन्द द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 27/2022 ना.क. प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपतहसीलदार जयसमन्द द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुये मौजा डांगी खेडा पटवार हल्का अमरपुरा तहसील सराडा मे स्थित आराजी संख्या 172 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत पत्रावली तैयार न करना, प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर न देना, पत्रावली में कांट छांट कर आराजी संख्या 110 को 172 करना, पटवारी के मौका पर्चा मे दिंनाक 23.12.2022 अंकित होना, अवगत कराते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि विपरीत बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये विधि विपरीत आदेश पारित किया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। नोटिस 110 का जारी करने का आदेश है नकल भी ले ली थी । नकल लेने के बाद नंबर बदल दिया। अब 172 बना दिया गलती हो गई तथी तो गलती ही रहने देते। काट कर नया नम्बर लिखना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पटवारी रिपोर्ट में दिनांक 23.12.2022 लिखी है जो अभी तक नहीं आयी है। आदेश में खसरा नम्बर नहीं लिखा है। पालना हेतु पत्र भी आदेश के अनुरुप नहीं है। आराजी न. कहा से लिखा है। सार्वजनिक एंव रास्ते की भूमि का तथ्य कैसे अंकित किया है। 172 का पट्टा पंचायत द्वारा 1999 में अभियान के दौरान किया गया। पट्टा अगर सही नही है तो पट्टा निरस्त हेतु कार्यवाही की जावे। पट्टे के आधार पर कब्जा है जो जायज है। 91 की कार्यवाही नही हो सकती है। 2006 RRT 272 कब्जा हटाने की रिपोर्ट /पर्चा मौका में हमारे हस्ताक्षर नहीं हैं प्रार्थी को सूचित नही किया गया। आज भी प्रार्थी मकान मौके पर बने हुए है। जिनके फोटो संलग्न किये है। रिहायशी मकान है, पशु बांध रखे है जिसको देखा नहीं गया है। 110 का नोटिस देकर 172 से कब्जा हटाने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थी से कुछ लोग रंजीश रखते है नाजायज लाभ पंहुचाने तथा प्रार्थी को परेशान करने हेतु कार्यवाही की गयी है। फैसले के बाद काट फांस की गयी है। विधिवत नोटिस नहीं दिया गया। गलत नोटिस दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bhinkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश में खसरा न. अंकित नहीं है जो कि आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। पट्टा गलत दिया था तो उसको निरस्त करवाना चाहिए था। rs(a) के अनुसार इस आदेश की अपील किस रुल के तहत कितने समय में कहा होगी। इसकी पालना नहीं की गयी। अतः अपील स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

- आर.आर.डी. 2006(1) पृष्ठ 272

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अनुरोध किया कि मौजा डांगी खेडा, उपतहसील जयसंमद, तहसील सराडा की आराजी संख्या 172 रकबा 0.0300 हेक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जयसमन्द द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जाकर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया हैं, जो नियमानुसार है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टो पर आराजी संख्या का उल्लेख नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त पट्टो के आधार पर अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर स्वामित्व नही माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व डांगी खेडा, उपतहसील जयसंमद, तहसील सराडा की आराजी संख्या 172 रकबा 0.0300 हेक्टेयर किस्म बिलानाम पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबधित है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार जयसमन्द द्वारा अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सरवर्क पर प्रकरण संख्या 27/2022 दिनांक 13.06.2022 को दर्ज होना एवं दिनांक 13.06.2022 को निर्णित होने का उल्लेख है, किन्तु दिनांक 13.06.2022 की कोई ऑर्डर शीट नही लिखी गई है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जयसमंद द्वारा पारित निर्णय मे भी दिनांक का कोई उल्लेख नही किया गया है।

इसके अतिरिक्त धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस मे भी नोटिस जारी दिनांक अंकित नहीं है जो उचित नही है। पटवारी हल्का द्वारा जारी मौका पर्चा रिपोर्ट मे दिनांक 23.12.2022 होना बताया गया है, जबकि पत्रावली के सरवर्क पर निर्णय की दिनांक पृथक अंकित है। आदेशिका में वर्णित खसरा नम्बर में कॉट छॅाट है तथा एक बार खसरा नंबर 110 एवं फिर काट कर खसरा नंबर 172 अंकित किया है। दोनो की नकले अलग–अलग जारी हो रखी है। हांलाकि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 से निर्णय की पालना हो चुकी है, लेकिन जो त्रुटियां रिकार्ड पर मौजूद है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उपतहसीलदार जयसमन्द द्वारा पारित किये गये प्रकरण निर्णय मे प्रक्रियात्मक त्रुटि होना स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऐसे निर्णय को अपास्त कर पुनः विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अतंर्गत धारा 75, भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार जयसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 27/2022 मे पारित निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जयसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान मे रखते हुये प्रकरण नवीन सिरे से दर्ज कर, उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested